परिपत्र

कार्यालय निबन्धक, सहकारी समितियां उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 3535-38 /अधि0/नि0म0परिपत्र /2021–22 दिनांक 02/09/~~अगस्त~~, 2021

समस्त सचिव/महाप्रबन्धक,
जिला सहकारी बैंक लि0, उत्तराखण्ड।

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, हल्द्वानी।

विषय– मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना नैनो के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक उप निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड के पत्रांक संख्या 1102/उ0शि0/(पांच) एमएसवाई/बैंक/2020–21 देहरादून दिनाँक 31 जुलाई, 2021 मय संलग्न सहित इस कार्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ हैं, **(छायाप्रति संलग्न)**, उक्त पत्र द्वारा अवगत कराया गया है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसायियों/उद्यमियों को स्वयं के व्यवसाय के संचालन/पुर्नसंचालन के लिये वांछित पूंजी की व्यवस्था हेतु बैंकों के माध्यम से सुगमतापूर्वक कम्पोजिट लोन/टर्म लोन/कार्यशील पूंजी ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि वह स्वयं के व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित कर आत्मनिर्भर बनने के साथ–साथ स्वरोजगार कर सकें। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) योजना के शासनादेश को जिला सहकारी बैंकों के बोर्ड मीटिंग में रखे जाने की अपेक्षा की गयी हैं। उक्त योजना शहरी क्षेत्रों के विक्रेताओं की जीविका के संरक्षण और फेरी व्यवसाय के संचालन के लिये प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से लौटे व्यक्तियों के लिये बैंकों के माध्यम से ऋण व अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराना है।

अतः उप निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड के पत्रांक संख्या 1102/उ0शि0/(पांच)एमएसवाई/बैंक/2020–21 देहरादून दिनाँक 31 जुलाई, 2021 की प्रति मय संलग्नकों सहित इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही है कि उक्त पत्र द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोपरि।

(ईरा उपेती)
अपर निबन्धक,
सहकारी समितियॉ, उत्तराखण्ड।

पत्रांक 3535-38 /**उक्त दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– निम्न को प्रेषित।

1–उप निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड।
2–समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तराखण्ड।
3–समस्त उप निबन्धक, सहकारी समितियॉ उत्तराखण्ड।

अपर निबन्धक,
सहकारी समितियॉ, उत्तराखण्ड।

परिशिष्ट–1

शासनादेश सं0–773 / VII-3-21 / 02(07)–एम0एस0एम0ई0 / 2020, दिनांक 21 जून, 2021 का संलग्नक

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम

वैश्विक महामारी कोविड–19 तथा लॉकडाउन के कारण ग्रामीण तथा शहरी छोटे व्यवसायी / उद्यमी / पथ विक्रेताओं की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह छोटे व्यवसायी / उद्यमी आमतौर पर एक छोटे पूंजी आधार के साथ काम करते हैं। लॉकडाउन के दौरान इस पूंजी का उपयोग अपने दैनिक वस्तुओं की खरीद में करने के कारण व्यवसाय / उद्यम के संचालन के लिए उनके पास पूंजी का अभाव बना हुआ है।

राज्य के शहरी क्षेत्रों मे पथ विक्रेताओं की जीविका के संरक्षण एवं फेरी व्यवसाय के संचालन के लिए भारत सरकार, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेण्डर्स आत्मनिर्भर निधि योजना लागू की गयी है। योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत पथ विक्रेताओं के व्यवसाय / उद्यम के संवर्द्धन हेतु राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, तथा एसएचजी बैंक के माध्यम से रू. 10,000 / – तक कार्यशील पूंजी ऋण दिये जाने की व्यवस्था की गयी है और इस कार्यशील पूंजी ऋण पर 7 प्रतिशत का ब्याज उपादान भारत सरकार द्वारा दिया जा रहा है।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अति सूक्ष्म उद्यम / व्यवसाय (Nano Enterprise) की स्थापना / संचालन के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना–अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम प्रख्यापित की जा रही है। कोविड–19 के कारण अन्य राज्यों से काफी अधिक संख्या में राज्य के प्रवासी राज्य में वापस लौटे हैं और इनमें से अधिकतर अपना रोजगार छोड़कर वापस आए हैं। यद्यपि बाहर से लौटे प्रवासियों को स्वरोजगार से जोड़ने तथा व्यवसाय / सेवा / विनिर्माणक उद्यम की स्थापना के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण एवं अनुदान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारम्भ की गयी है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में लगभग 28,115 आवेदकों द्वारा पंजीकरण कराया गया है, जिसमें से लगभग 6,251 लोगों ने स्वयं के उद्यम / व्यवसाय की स्थापना के लिए ऋण हेतु आवेदन किया गया है।

उद्देश्यः

योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसायियों / उद्यमियों को स्वयं के व्यवसाय के संचालन / पुर्नसंचालन के लिए वांछित पूंजी की व्यवस्था हेतु बैंकों के माध्यम से सुगमतापूर्वक ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि वह स्वयं के व्यवसाय को सफलतापूर्वक संचालित कर आत्मनिर्भर बनने के साथ–साथ रोजगार प्रदाता की भूमिका भी निभा सकें। प्रस्तावित योजना में 20,000 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है, ताकि प्रदेश के अति सूक्ष्म व्यवसायियों / उद्यमियों तथा कोविड–19 के कारण राज्य में वापस लौटे प्रवासी भारत सरकार की मुद्रा योजना से आच्छादित होकर अपने गांव में ही अपना उद्यम / व्यवसाय प्रारम्भ कर सकें। 20,000 लोगों को लाभान्वित किये जाने पर रू. 10 करोड़ का व्ययभार आयेगा, जिसमें से 50 प्रतिशत अर्थात् रू. 5 करोड़ हंस फाउण्डेशन द्वारा वहन किये जाने की सहमति दी गयी है।

योजनान्तर्गत महिलाओं / अनुसूचित जाति तथा जनजाति एवं दिव्यांगजनों को समुचित रूप से योजना का लाभ दिये जाने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समीक्षा समिति क्षेत्र की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जनपद के लिए निर्धारित कुल लक्ष्यों में से आवश्यकतानुसार उपलक्ष्यों का निर्धारण कर लक्ष्यों की शत् प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कार्यवाही करेगी। योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

1. ग्रामीण क्षेत्र के छोटे व्यवसायियों / उद्यमियों तथा कोविड–19 के कारण राज्य में वापस लौटे प्रवासियों को स्वयं के उद्यम / व्यवसाय के संचालन / पुर्नसंचालन हेतु समग्र ऋण / कार्यशील पूंजी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

क्रमशः.....4

2. स्वरोजगार हेतु अति सूक्ष्म सेवा, व्यवसाय तथा छोटे उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देकर ग्रामीण क्षेत्रों मे रोजगार के अवसरों का सृजन।
3. मुद्रा योजना का अधिकतम लाभ लेने हेतु प्रोत्साहित करना।
4. ग्रामीण क्षेत्र के छोटे व्यवसायियों/उद्यमियों की आर्थिकी को सुदृढ़ करना।

योजना का स्वरूप एवं अनुदान की मात्रा/सीमाः

ग्रामीण क्षेत्रों में अति सूक्ष्म उद्यमों/व्यवसाय (Nano Enterprise), जैसेः सब्जी व फल विक्रेता, फास्ट फूड, चाय, पकौड़ा, ब्रेड, अण्डे आदि की बिक्री, दर्जीगिरी, प्लम्बर, इलैक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल रिचार्ज प्वाइंट, ब्यूटी पार्लर, इम्ब्रॉयड्री, सिलाई–बुनाई, बुक बाईंडिंग, स्क्रीन पिंटिंग, चूड़ी वाला, पेपर मैच क्राफ्ट, धूप/अगरबत्ती निर्माण, झाड़ू निर्माण, रिंगाल कार्य, पेपर बैग निर्माण, कैण्डिल निर्माण, देसी गाय पालन, मशरूम की खेती, साग–सब्जी उगाना, मत्स्य पालन, मशीन रिपेयरिंग, फूल विक्रेता, कार वाशिंग, ब्लॉगिंग, ट्यूबर, बार्बर, कॉबलर्स, पैन शॉप्स, डेयरी, बैकयार्ड पॉल्ट्री, चिकन/मीट शॉप, छोटी बेकरी, कारपेन्ट्री, लौहारगिरी, लॉण्ड्री आदि ऐसी प्रमुख गतिविधियां हैं, जो कोविड–19 के कारण अत्यधिक प्रभावित हुई हैं। ऐसे उद्यम/व्यवसाय की स्थापना लागत रू. 10,000 से रू. 15,000 तक होती है। भारत सरकार की मुद्रा योजना के अन्तर्गत अति सूक्ष्म उद्यमी/व्यवसायियों को लाभान्वित किये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार प्रस्तावित योजना में छोटे/सूक्ष्म उद्यम/व्यवसाय के पुर्नसंचालन/स्थापना के लिए बैंकों के माध्यम से अधिकतम रू. 10,000 तक समग्र ऋण/कार्यशील पूंजी (Composite/Working Capital Loan) की सुविधा प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करना है। परियोजना लागत में न्यूनतम 20 प्रतिशत आवेदक का भी मार्जिन मनी होगा। अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला तथा दिव्यांगजन के लिए कुल परियोजना लागत के सापेक्ष मार्जिन मनी की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी। कुल परियोजना लागत पर रू. 10,000 तक के कम्पोजिट लोन/कार्यशील पूंजी ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत किया जायेगा और स्वीकृत ऋण के सापेक्ष 50 प्रतिशत, अधिकतम रू. 5,000 तक अनुदान/ग्राण्ट राज्य सरकार द्वारा दी जायेगी। स्वीकृत/संवितरित ऋण की अदायगी न्यूनतम 3 वर्ष में की जायेगी। स्वीकृत ऋण पर संपार्श्विक बंधक (Collateral Mortgage) रखने की आवश्यकता नहीं होगी तथा सृजित परिसम्पत्तियों का बीमा भी नहीं कराया जायेगा। यदि परियोजना लागत अधिक होती है, तो बड़ी हुई लागत को आवेदक स्वयं अपना मार्जिन बढ़ाकर पूर्ण कर सकता है। उदाहरणार्थः सामान्य अभ्यर्थी के लिए कुल परियोजना लागत रू. 12,400 तक होने पर बैंक द्वारा अधिकतम रू. 10,000 तक का ऋण स्वीकृत किया जायेगा और अवशेष रू. 2,400 आवेदक का मार्जिन होगा, किन्तु यदि कुल परियोजना लागत रू. 12,400 से 15,000 तक की है, तो बैंक से रू. 10,000 तक का ही ऋण स्वीकृत करेगा और बड़ी हुई परियोजना लागत को आवेदक के मार्जिन को बढ़ाकर पूरा किया जा सकता है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों (अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला एवं दिव्यांगजन) के लिए कुल परियोजना लागत के सापेक्ष रू. 10,000 का बैंक ऋण स्वीकृत किये जाने पर मार्जिन मनी की कुल राशि रू. 1000 से अधिक नहीं होगी।

बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण की प्रथम किश्त के भुगतान के पश्चात अनुमन्य अनुदान/ग्राण्ट एक मुश्त सम्बन्धित वित्त पोषक बैंक को अवमुक्त कर दी जायेगी तथा वित्त पोषक बैंक द्वारा अवमुक्त अनुदान को एक वर्ष के बाद उद्यम/व्यवसाय के सफलतापूर्वक संचालन किये जाने पर लाभार्थी के ऋण खाते में समायोजित किया जायेगा। अनुदान/ग्राण्ट का भुगतान सम्बन्धित बैंक शाखा को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में विकसित पोर्टल www.msy.uk.gov.in के माध्यम से लाभार्थी के खाते में प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (Direct Benefit Transfer) द्वारा किया जायेगा।

क्रमशः.....5

पात्रता एवं अर्हता:

1. आवेदक की आयु आवेदन के समय 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
2. शैक्षिक योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है।
3. आवेदक राज्य का स्थायी/मूल निवासी होना चाहिए, जिसका प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
4. आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी संस्था या अन्य संस्था का चूककर्ता (Defaulter) नहीं होना चाहिए।
5. आवेदक द्वारा जहां व्यवसाय/सेवा/उद्यम स्थापित/क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है, उस ग्राम/क्षेत्र में कार्यस्थल/दुकान उपलब्ध होने एवं अभ्यर्थी के कार्य करने के इच्छुक होने के सम्बन्ध में इस आशय का ग्राम प्रधान द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
6. आवेदक को सम्बन्धित क्षेत्र के वित्त पोषक बैंक का खाताधारक होना चाहिए।
7. व्यवसाय/सेवा/उद्यम के संचालन/पुर्नसंचालन के लिए यदि कोई अनुज्ञा/अनुमति /अनापत्ति वांछित हो, तो क्षेत्र विशेष के सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा/अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
8. दिव्यांगजनों/अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी।

आवेदन की प्रक्रिया:

1. आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र को ऑनलाइन www.msy.uk.gov.in पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्र में प्रस्तावित/पूर्व से संचालित व्यवसाय/सेवा/उद्योग का विवरण भी उल्लिखित होना चाहिए।
2. जिन आवेदकों द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में पंजीकरण कराया हुआ है, उन्हें पुनः पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी।
3. ऐसे आवेदक, जिन्होंने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत अपना पंजीकरण कराया है और ऋण के लिए आवेदन किया था, किन्तु उनका आवेदन पत्र बैंक द्वारा निरस्त कर दिया गया है अथवा उनके द्वारा ऋण के लिए आवेदन नहीं किया गया है, उसी पंजीकरण के आधार पर इस योजना में भी ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
4. आवेदक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अथवा मुख्यमंत्री स्वरोजगार अति सूक्ष्म (नैनो) उद्यम योजना में से किसी एक योजना में ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
5. आवेदन पत्र के साथ आवेदक का फोटोग्राफ, आधार संख्या तथा अन्य आवश्यक/संगत अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
6. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आवेदक को आवेदन की ऑनलाइन पावती दी जायेगी।
7. आवेदन पत्र का प्रारूप www.msy.uk.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है।

योजना का क्रियान्वयन:

योजना के क्रियान्वयन हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के नियंत्रणाधीन उद्योग निदेशालय नोडल विभाग होगा। जिला स्तर पर योजना का क्रियान्वयन जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन में अन्य सम्बन्धित विभागों/बैंकों की पूर्ण सहभागिता रहेगी।

क्रमशः.....6

बैंकों को ऋण हेतु आवेदन पत्रों का अग्रसारण :

ऑनलाइन प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का जिला उद्योग केन्द्र के स्तर पर प्रारम्भिक परीक्षण किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु विभागीय वेबसाइट **www.msy.uk.gov.in** के माध्यम से क्रियान्वयन में सहभागी विभागों/संस्थाओं/बैंकों को लाभार्थियों को स्वीकृत/संवितरित ऋण तथा अनुदान के विवरण साझा किये जायेंगे। आवेदन पत्रों के प्रारम्भिक परीक्षण के लिए महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की अध्यक्षता में गठित कार्यदल उत्तरदायी होगा। इस कार्यदल में सम्बन्धित जनपद के जिला अग्रणी बैंक के प्रबन्धक, प्रमुख बैंकों के जिला समन्वयक तथा विकासखण्ड के खण्ड विकास अधिकारी सदस्य के रूप में सम्मिलित रहेंगे।

कार्यदल द्वारा अनुमोदित आवेदन पत्रों का निस्तारण:

(क) परीक्षणोपरान्त कार्यदल से अनुमोदित आवेदन पत्र महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ बैंक शाखाओं को अग्रसारित किये जायेंगे।

(ख) बैंकों द्वारा 30 दिवस के अन्दर प्रकरण का निस्तारण किया जायेगा। दिवसों की गणना बैंक में आवेदन--पत्र प्राप्त होने की तिथि से की जायेगी।

(ग) 45 दिवस में बैंक से प्रकरण के निस्तारण के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होने पर, गठित कार्यदल द्वारा इसकी समीक्षा की जायेगी।

(घ) कार्यदल की बैठक प्रत्येक सप्ताह में आयोजित की जायेगी।

जिला स्तरीय समीक्षा समिति:

(क) योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति सतत समीक्षा करेगी। जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति (DLRC) तथा जिला उद्योग मित्र की बैठक के साथ आहूत की जा सकती है।

(ख) समिति लम्बित प्रकरणों, सहायता प्राप्त उद्यमों की स्थापना, लाभार्थियों की समस्याओं एवं अन्य विषय जो समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे, की समीक्षा करेगी।

(ग) जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समीक्षा समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगे:

1.	जिलाधिकारी।	--अध्यक्ष।
2.	मुख्य विकास अधिकारी।	--सदस्य।
3.	जिला अग्रणी बैंक के प्रबन्धक।	--सदस्य।
4.	तीन प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के जिला समन्वयक/ प्रतिनिधि।	--सदस्य।
5.	सम्बन्धित क्षेत्रों के विकास खण्ड अधिकारी।	--सदस्य।
6.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा नामित सहयोगी संस्था के प्रतिनिधि।	--सदस्य।
7.	महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र।	--सदस्य सचिव।

टिप्पणी: आवश्यक होने पर जिलाधिकारी किसी भी विभाग/संस्था/बैंक के अधिकारी/प्रतिनिधि को समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार आमंत्रित कर सकेंगे।

वित्त पोषण हेतु अधिकृत बैंक/ वित्तीय संस्था:

(क) सभी राष्ट्रीयकृत बैंक।

(ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक।

(ग) सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।

(घ) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित सहकारी बैंक/निजी वाणिज्यिक बैंक/एसएचजी बैंक।

क्रमशः.....7

विविधः

1. योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु ब्लॉक लेवल बैंकर्स समिति, जिला क्रेडिट समिति, डीएलआरसी द्वारा भी समीक्षा की जायेगी। राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति द्वारा योजना की समीक्षा की जायेगी।
2. योजना की प्रगति की मासिक समीक्षा जिला स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा की जायेगी।
3. योजना के कुल बजट की 5 प्रतिशत धनराशि लाभार्थियों के प्रशिक्षण एवं प्रशासनिक/ कार्यालयी व्ययों हेतु कंटिनजेंसी के रूप में उपयोग की जा सकेगी।
4. योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण, मेन्टरिंग एवं नेटवर्किंग सर्विसेज, व्यवसाय को स्थापित व संचालित करने, व्यवसाय के अवसरों के अभिज्ञापन तथा सॉफ्ट स्किल में अल्पकालिक प्रशिक्षण देने के लिए अन्य संस्थाओं का भी सहयोग लिया जायेगा।
5. योजनान्तर्गत किये जाने वाला व्यय बजट प्राविधान के अन्तर्गत सीमित रखना होगा।
6. योजना के किसी प्राविधान के संशोधन, परिमार्जन तथा स्पष्टीकरण प्रशासनिक विभाग के मा0 मंत्री जी की अनुमति से किया जा सकेगा।

योजना का प्रचार–प्रसारः

योजना के प्रचार–प्रसार का दायित्व सम्बन्धित जनपद के महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र का होगा। महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र योजनान्तर्गत स्वरोजगार अपनाने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए कार्यशाला शिविरों का आयोजन करेंगे और इन शिविरों में अति सूक्ष्म व्यवसायियों/उद्यमियों को सभी प्रकार की जानकारी तथा उद्यम/व्यवसाय के संचालन/पुर्नसंचालन हेतु हर सम्भव सहायता/मार्ग–दर्शन दिया जायेगा। जिला लीड बैंक अधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी भी इस कार्य में अपना सहयोग देंगे।

राज्य स्तर से विभिन्न सूचना माध्यमों से भी योजना का प्रचार–प्रसार किया जायेगा।

(सचिन कुर्वे)
सचिव।